अपील/ एलआर/6224/2005/चितौड़गढ़
ग्राम पंचायत राशमी बनाम बंशीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
10.06.2025	**एकल-पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट। श्री के0के0 पुरोहित, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स। **आदेश** 1. हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा-76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09-12-05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. अपील ज्ञापन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि बख्तावरीबाई बैवा उदा खटिक निवासी राशमी को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 902 में से 5 बिस्वा का नियमानुसार दिनांक 13-09-82 को आवंटन किया गया। इस आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर पक्का निर्माण अर्थात् मकान इत्यादि बना लेने से आवंटन शर्तो का उल्लंघन होने से तहसीलदार राशमी द्वारा आवंटित भूमि पुनः राज्य सरकार के हक में रिज्यूम करने हेतु आवेदन परीक्षण न्यायालय अपर जिला कलक्टर(भूमि अर्जन), चितौड़गढ़ को प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने की दशा में विवादित आराजी को पुनः राज्य सरकार के हक में रिज्यूम करने के आदेश पारित किये। जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट्स ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश के द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की। उक्त आदेश से व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त आराजी नाले व रास्ते की जमीन है। जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटित नहीं की जा सकती है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि भूमि आवंटन नियम 1961 के नियम 4(1)(2) को अनदेखा करते हुए आक्षेपित आदेश पारित करने में कानूनी भूल कारित की है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि दिनांक 18.08.2005 को ऐसा कोई राज्यादेश राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया जिससे यह भूमि आबादी के लिए आरक्षित की गई हो, मात्र तहसीलदार द्वारा प्रस्तावना भिजवाई गई थी जिस पर कार्यवाही होना	

शेष है, किन्तु अपीलीय न्यायालय ने उस प्रस्तावना को ही राज्यादेश मान लिया जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को निरस्त किया जावे।

4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोर्डेंट्स का कथन है कि बगतावरीबाई की मृत्यु के पश्चात उसकी सारी अचल संपत्ति रेस्पो0 को मिली है। इसलिए विवादित बाड़ा भी उन्हें विरासत में मिला है, जिस पर रेस्पो0 का कब्जा है। अपीलीय न्यायालय ने प्रस्तुत रिकोर्ड एवं रिपोर्ट का सहीं विश्लेषण व विवेचन कर रेस्पोर्डेंट की अपील स्वीकार की है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के साथ उपलब्ध निर्णयों का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बख्तावरीबाई बैवा उदा खटीक निवासी राशमी को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 902 में से 5 बिस्वा का नियमानुसार दिनांक 13-09-82 को आवंटन किया गया। इस आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर पक्का निर्माण अर्थात् मकान इत्यादि बना लेने से आवंटन शर्तो का उल्लंघन होने से तहसीलदार राशमी द्वारा आवंटित भूमि पुनः राज्य सरकार के हक में रिज्यूम करने हेतु आवेदन परीक्षण न्यायालय अपर जिला कलक्टर(भूमि अर्जन), चितौड़गढ़ को प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने की दशा में विवादित आराजी को पुनः राज्य सरकार के हक में रिज्यूम करने के आदेश पारित किये। जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट्स ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश के द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की। उक्त आदेश से व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह सुस्पष्ट स्थिति है कि वादग्रस्त आराजी भूमि में से 05 बिस्वा भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 98(1) के तहत बख्तावरी बाई को बाड़े के लिये आवंटित की गई थी। जिनकी मृत्यु के उपरांत उनके रिश्तेदारों द्वारा अवैधानिक रूप से उस पर पक्का निर्माण कर लिया जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 98(1) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन माना जायेगा। वादग्रस्त आराजी मूल रूप से बख्तावरी बाई को आवंटित थी। जिनकी मृत्यु के पश्चात रेस्पो. द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा कर अपना स्वामित्व बताया जा रहा है, जो वैधानिक नहीं है।

यहां यह उल्लेखित करना समीचीन होगा कि वादग्रस्त आराजी किस्म गै0 मु0 नाला की भूमि है। जो राजस्थान भू-राजस्व (संग्रहण स्थल हेतु भूमि आवंटन)

नियम 1961 के नियम 4(1)(ii) के तहत आवंटन किया जाना पुरी तरह निषेध है। जिसके प्रावधान निम्न प्रकार हैः- Provided that the following classes of land shall not be allotted, namely:- 'land recorded as permanent threshing floors; groves, orchands, birs, forests, abadi, cremation grounds burial grounds, en-camping grounds, parade grounds, pals of some tank or embankment, roads railways rivers, nalas pastures or grazing grounds:'

इसके अतिरिक्त नियम 4ए के तहत रेस्पों. को किसी भी प्रकार से स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं होने से किसी भी समय सरकार भूमि को रिज्यूम कर सकती है। इन विधिक परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए अपीलीय न्यायालय ने प्रस्तुत अपील को विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार किया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 09-12-05 निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय अपर जिला कलक्टर(भूमि अर्जन), चितौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 16-02-04 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य